न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

(1)

द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या—381/2019

प्रथम पक्ष :—1. करमचन्द मण्डल पिता— स्व0 शशी मण्डल सा0 तेलमटीया 2. किर्ती मण्डल पिता— स्व0 लालु मण्डल ग्राम नरायणपुर 3.शक्ति पद मण्डल पिता— स्व0 गौर मण्डल सा0 तेलमटीया सभी थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारों

—: बनाम् :—

द्वितीय पक्ष :—1 बरूण मण्डल पिता—स्व0 पानु मण्डल 2. संजय मण्डल पिता—स्व0 अरूण मण्डल 3. तपन मण्डल पिता— स्व0 गोपाल मण्डल सभी सा0 तेलमटीया सभी थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारों

कार्यवाही

थाना प्रभारी पिड्राजोरा के डी0आर0 संख्या—1699/2019 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी पिड्राजोरा के माध्यम से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति—व्यवस्था बनाया जा सके।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
तेलमटिया	पिण्ड्राजोरा	18	79,	1.95 एकड़

चौहद्दी

उत्तरः— लाल मांझी एवं पंचानद मण्डल का परती जमीन।
दक्षिण :— फोदु मण्डल एवं पंचानद मण्डल का रैयती जमीन।
पूरबः— पक्की सड़क एवं सड़क के बाद निमाई मण्डल का परती जमीन ।
पश्चिमः— परती जमीन एवं गवाई नदी ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 14/11/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण—पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष्य कर दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 4/11/19
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

14/11/19 उभय पक्ष के सूचना का तामिला निबंधित डाक के माध्यम से भेजा गया। द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। S.C. हेतु समय का आवेदन है। दिनांक 28/11/19 को रखें

S.D.M
Chas

28/11/19 प्रथम पक्ष के क्र० (2) का निर्वासित S.D.O. से भेजा गया सूचना बिना तामिला के वापस। द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी द्वि० पक्ष की ओर से S.C. दाखिल। प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है S.C. हेतु समय का आवेदन है।

S.C. Tr.

दिनांक 7/12/19 को रखें

S.D.M. Chas

7/12/19 द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है S.C. हेतु समय का आवेदन है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध धारा 188 का आवेदन दाखिल किया गया।

दिनांक 26/12/19 को रखें

S.D.M. Chas

26/12/19 प्रथम पक्ष के हाजरी है S.C. हेतु समय का आवेदन है।
द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है
Get report from thana about the status of dhan on the said land.

S. Singh
अंचल।

Next Hearing postponed on 30/12/19.

S. Singh
26/12/19.

...संख्या ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
30/12/19	द्वि० पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष के हाजरी है तथा S/L हरिजला बिमा तथा कागजात का स्वायर प्रति दाखिल। दिनांक 31/12/19 को रखें	
31/12/19	द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष के कागजात हाजरी है। S.D.M Chas party 1 – फेंदु मंडल – issueless – रिदु मंडल — 1st party descendants. खेदु मंडल – Recorded Raiyat ↳ second Party are descendants. Sedam Mandal – father of Khedu Mandal. party 2 point of difference over title – accepted the case pertains to title, both the parties can pursue the matter in appropriate court for decision on title. both the parties can pursue u/s 107 & 145 if their assessment is from Law & Order point of view Restrictions u/s 144 is uplifted. Sd/- 31/12/19	03/01/20

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.09.06 12.18.14 +05:30
Location: 192.168.1.3